

Civil Services (Main)
Examination, 2026

KVMS-B-LWN

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र II / Paper II

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : **Three Hours**

अधिकतम अंक : **250**

Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो।

प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements :

10×5=50

- (a) क्या 'रेस इप्सा लॉकिटूर', 'साबित करने के भार (बर्डन ऑफ प्रूफ)' को पूर्णतः उलट (प्रतिकूल कर) देता है ? टिप्पणी कीजिए।

Does 'Res ipsa loquitur' reverse the 'burden of proof' completely ?
Comment.

10

- (b) 'सामुदायिक सेवा' को दण्ड के प्रकार के रूप में स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है ? विवेचना कीजिए।

How can 'community service', as a type of punishment, be used to address local issues ? Discuss.

10

- (c) 'उपभोक्ता' की परिवर्तित परिभाषा आधुनिक बाज़ार पद्धति यथा 'ई-कॉमर्स' के साथ किस प्रकार संरेखित (अलाइन) करती है ? विवेचना कीजिए।

How does the changed definition of 'consumer' align with modern market practices such as 'e-commerce' ? Discuss.

10

- (d) क्या किसी 'एकल (एक ही) कृत्य' को लोक उपताप एवं निजी उपताप दोनों माना जा सकता है ? उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Can a 'single act' amount to both public and private nuisance ? Explain with the help of examples.

10

- (e) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 'राजद्रोह' से लेकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वाले कृत्य' तक विधि में किस प्रकार परिवर्तन हुए हैं ? व्याख्या कीजिए।

From 'sedition' under the Indian Penal Code, 1860 to 'acts endangering sovereignty, unity and integrity of India' under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, how has the law changed ? Explain.

10

- Q2.** (a) “‘प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व’ का सिद्धांत दोष की अपेक्षा लोक नीति पर आधारित है।” विनिर्णीत वादों के आलोक में उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
 “‘Vicarious liability’ is based on public policy rather than fault.”
 Critically analyse the above statement in the light of decided cases. 20
- (b) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को प्रभाव देने के लिए अस्पृश्यता-विरोधी विधि किस प्रकार विकसित हुई ? संगत विधायी अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों के आलोक में विवेचना कीजिए।
 How has the law against untouchability evolved to give effect to Article 17 of the Constitution of India ? Discuss in the light of relevant legislative enactments and judicial pronouncements. 15
- (c) अपकृत्यात्मक दायित्व की प्रतिरक्षा के रूप में ‘वोलेंटी नॉन फिट इन्जुरिया’ के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इस सिद्धांत के विषय क्षेत्र (दायरे) की क्या परिसीमाएँ हैं ?
 Discuss the doctrine of ‘Volenti non fit injuria’ as a defence to tortious liability. What are the limitations on the scope of this doctrine ? 15
- Q3.** (a) ‘पूर्व-विचारित मृत्यु कारित करने’ तथा ‘अचानक झगड़ा-जनित हत्या’ के मध्य विधि कितने प्रभावपूर्ण तरीके से विभेद स्थापित करती है ? सुसंगत सांविधिक प्रावधानों के आलोक में व्याख्या कीजिए।
 How effectively does the law distinguish between ‘pre-meditated killing’ and ‘murder as a consequence of a sudden fight’ ? Explain in the light of relevant statutory provisions. 20
- (b) ‘तथ्य की भूल’ किस सीमा तक दुराशय (आपराधिक मनःस्थिति) को नकारती है ? क्या यह न्यायोचितता के रूप में या क्षम्यता (माफ़ी) के रूप में प्रवर्तित होता है, और क्या इसे कठोर दायित्व के अपराधों में प्रतिरक्षा के रूप में अनुमत किया जाना चाहिए ? व्याख्या कीजिए।
 How far does a ‘mistake of fact’ negate *mens rea* ? Does it operate as a justification or an excuse, and should it be allowed as a defence in strict liability offences ? Explain. 15
- (c) ‘समझौता-अभिवाक्’ (प्ली-बार्गेनिंग) में पक्षकारों की स्वैच्छिक भागीदारी को सुनिश्चित करने में विधि द्वारा प्रदत्त प्रक्रियात्मक रक्षोपायों के साथ-साथ न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए।
 Discuss the procedural safeguards provided under the law along with the role of judiciary in ensuring the voluntary participation of the parties in ‘plea-bargaining’. 15

- Q4. (a)** 'X', एक 25 वर्ष का लड़का, 'Y', एक 18 वर्ष की लड़की को वचन देता है कि यदि वह उसके साथ 'इन्द्रिय-समागम' करे तो वह उससे विवाह कर लेगा। लड़की अनिच्छुक है, किन्तु लड़के के विवाह करने के पुनरावृत्त आश्वासन पर सहमत हो जाती है। कृत्य के पंद्रह दिन पश्चात्, लड़का उसको एक संदेश भेजता है कि वह अपना वचन नहीं निभा सकता क्योंकि यह उसकी आजीविका की योजना से मेल नहीं खाता और वह एक एनआरआई लड़की से विवाह करके विदेश में व्यवस्थित होना चाहता है। लड़के के द्वारा कौन-सा अपराध, यदि कोई हो, कारित किया गया है? विवेचना कीजिए। इस सम्बन्ध में, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को, अब तक के हुए हाल के यौन अपराध संबंधी संशोधनों के आलोक में, व्याख्यायित कीजिए।

'X', a 25-year-old boy, makes a promise to 'Y', an 18-year-old girl, that he will marry her if she has 'carnal-relations' with him. The girl is reluctant, but agrees after repeated assurances from the boy that he will marry her. Fifteen days after the act, the boy sends her a text message stating that he cannot keep his promise because marriage with her does not align with his career plans and that he needs to marry an NRI girl to facilitate his settlement abroad. What offence, if any, has been committed by the boy? Discuss. In this context, explain the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita in the light of amendments relating to sexual offences, which recently took place.

20

- (b)** "चोरी कब्ज़ा के विरुद्ध अपराध है, न कि स्वामित्व के विरुद्ध।" टिप्पणी कीजिए। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों में चोरी से संबंधित विधि में किए गए परिवर्तनों की व्याख्या भी कीजिए। "Theft is an offence against possession, not ownership." Comment. Also explain the changes introduced in the law relating to theft under the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

15

- (c)** 'X', एक लोक सेवक, 'Y' नामक व्यक्ति के खाना पकाने के गैस संयोजन (कनेक्शन) के लिए 'Y' के नियमित आवेदन को समय से अग्रसारित करने के एवज में दस हजार रुपये की राशि की माँग करता है। 'X' ने कौन-सा, यदि कोई हो, अपराध किया है? सुसंगत सांविधिक प्रावधानों के आलोक में व्याख्या कीजिए। निदर्शक वादों को संदर्भित कीजिए।

'X', a public servant, asks 'Y', a person to give him an amount of Rupees ten thousand in order to process 'Y's routine application for a cooking gas connection on time. What offence, if any, has 'X' committed? Explain in the light of the relevant statutory provisions. Refer to leading cases.

15

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements.

10×5=50

- (a) भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 किस तरह से एकाधिकार के विनियमन से उपभोक्ता हितों के संरक्षण की तरफ परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है ? विवेचना कीजिए।
How does the Indian Competition Act, 2002, reflect a shift from regulating monopoly to protecting the interests of consumers ? Discuss. **10**
- (b) “सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथा उपबंधित ‘साइबर उल्लंघनों’ एवं ‘साइबर अपराधों’ में विधिशास्त्रीय अन्तर है।” विवेचना कीजिए।
“There is a jurisprudential difference between ‘cyber contraventions’ and ‘cyber offences’ as provided under the Information Technology Act, 2000.” Discuss. **10**
- (c) भागीदारी के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने वाले ‘गैर-भागीदारों’ पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on ‘non-partners’ who can share the profits in a partnership. **10**
- (d) ‘भाटक-क्रय (किराया-खरीद)’ के आवश्यक तत्व क्या हैं ? यह ‘खरीदने (क्रय) के करार’ से किस प्रकार भिन्न है ?
What are the ingredients of ‘hire-purchase’ ? How is it different from an ‘agreement to buy’ ? **10**
- (e) ‘असम्यक् असर’ के आधार पर एक संविदा को शून्य घोषित करवाने की कार्यवाही के लिए वादी को क्या सिद्ध करना होगा ? किन परिस्थितियों में ‘असम्यक् असर’ की उपधारणा की जा सकती है ?
In an action to void a contract on the ground of ‘undue influence’, what is to be proved by the plaintiff ? Under what circumstances can ‘undue influence’ be presumed ? **10**

Q6. (a) “लाभ में हिस्सा प्राप्त करना, भागीदारी के अस्तित्व का प्रथम-दृष्ट्या प्रमाण माना जाता है। किन्तु ‘पारस्परिक-अभिकरण’ इसका निश्चायक परीक्षण है।” उपर्युक्त कथन के आलोक में भागीदारी के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।

“Sharing of profits is only prima facie evidence of the existence of a partnership. The conclusive test is that of ‘mutual-agency’.” In view of the above statement, discuss the essential features of a partnership. **20**

- (b) भारत में 'संविदा की पक्षकारिता' के नियम की प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए। उन परिस्थितियों की भी विवेचना कीजिए जिनमें यह नियम गैर पक्षकार को संविदा को प्रवर्तित कराने से नहीं रोकता है।

Explain the applicability of the rule of 'privity of contract' in India. Also discuss the circumstances in which the rule does not prevent a person from enforcing a contract without his being a party to it.

15

- (c) "विक्रेता, अपवर्जन खण्ड के सहारे घटिया सामान बेचकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग अब नहीं कर सकते। अब उनका कर्तव्य है कि उपयुक्त माल (सामान/वस्तु) प्रदान करें।" सांविधिक प्रावधानों एवं विनिश्चित निर्णयों की सहायता से उपर्युक्त कथन की व्याख्या कीजिए।

"Sellers can no longer abuse their freedom by selling sub-standard goods and relying on exclusion clauses. Now there is a duty to deliver appropriate goods." Explain the above statement with the help of statutory provisions and decided cases.

15

- Q7.** (a) क्या 'वैकल्पिक विवाद निस्तारण' (ADR) प्रणाली लोक विधि के तत्त्वों, संवैधानिक अधिकारों, अथवा महत्वपूर्ण लोक हित के मामलों में प्रभावपूर्ण तरीके से विवादों का विनिर्णयन कर सकती है? माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में प्रदत्त परिसीमाओं के आलोक में वैकल्पिक विवाद निस्तारण (ADR) प्रणाली की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

Can 'Alternative Dispute Resolution' (ADR) mechanisms effectively adjudicate disputes involving public law elements, constitutional rights, or matters of significant public interest? Critically discuss the role of ADR mechanisms in light of limitations under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

20

- (b) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधिशास्त्र में, 'पूर्वावधानी के सिद्धांत' का अभ्युदय आत्मसात् क्षमता के सिद्धांत से पूर्वावधानी के सिद्धांत की ओर परिवर्तन को सूचित करता है। 'पोषणीय विकास' की अवधारणा के आलोक में इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

In international environmental jurisprudence, the emergence of the 'precautionary principle' marks a shift from the assimilative capacity principle to the precautionary principle. Elucidate this statement in light of the concept of 'sustainable development'.

15

- (c) “‘मीडिया द्वारा विचारण’ एक जटिल परिघटना है जो लोकतंत्र के दो मौलिक सिद्धांतों अर्थात् ‘निष्पक्ष विचारण के अधिकार’ तथा ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है।” इन दोनों के मध्य कैसे संतुलन स्थापित किया जा सकता है ? व्याख्या कीजिए।

“‘Trial by media’ is a complex phenomenon which poses a conflict between two fundamental principles of democracy, viz. ‘the right to a fair trial’ and ‘freedom of the press’.” How can a balance be maintained between these two ? Explain.

15

- Q8.** (a) “बौद्धिक सम्पदा विधियाँ रचनाकर्ता को आत्यंतिक (अनन्य) अधिकार प्रदान करती हैं; हालाँकि ऐसे अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं।” लोकहित के मुकाबले (बनाम) प्रतिलिप्याधिकार की दृष्टि से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“Intellectual property laws confer exclusive rights on creators; however, such rights are not absolute.” Critically examine this statement in view of copyright vis-à-vis public interest.

20

- (b) ‘मानक रूपी संविदा’ में अंतर्निहित शोषण की संभावना के विरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कैसे सुरक्षा प्रदान की जाती है ? विवेचना कीजिए और विनिर्णीत वादों को संदर्भित कीजिए।

How can courts protect individuals against the possibility of exploitation inherent in ‘standard form contracts’ ? Discuss and refer to decided cases.

15

- (c) “प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे के लिए कार्य करता है अभिकर्ता नहीं माना जाता है। प्रतिनिधित्व के गुण तथा मालिक से प्राप्त शक्ति संक्षेप में अभिकर्ता के विशेष (सुभेदक) लक्षण कहे जाते हैं।” उपर्युक्त को दृष्टिगत करके अभिकरण के स्वरूप की विवेचना कीजिए।

“Every person who acts for another is not an agent. Representative character and derivative authority may briefly be said to be the distinguishing features of an agent.” In view of the above, discuss the nature of agency.

15